2026:AHC: 164714

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1030/1989

सुरक्षित

शिव कुमार और अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : एस.ए.एन. शाह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में दं.प्र.सं.) के अन्तर्गत प्रस्तुत यह अपील अपीलार्थीगण, अर्थात् शिव कुमार, नन्हें, बाबू तथा ओम पाल द्वारा विशेष न्यायाधीश (डकैती निवारण), बदायूँ द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 14 वर्ष 1987, सम्बद्ध विशेष सत्र विचारण संख्या 41 वर्ष 1987, अन्तर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.04.1989 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण को धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया तथा प्रत्येक को पाँच वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया। तथापि, उन्हें धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।

3. प्रस्तुत आपराधिक अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 1, 3 तथा 4, अर्थात् क्रमशः शिव कुमार, बाबू तथा ओम पाल की मृत्यु हो गई तथा आदेश दिनांक 10.07.2020 एवं

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For legal Use.

07.05.2026 के द्वारा उनके सम्बन्ध में अपील उपशमित हो गई। वर्तमान अपील अब केवल अपीलार्थी संख्या 2 नन्हें की ओर से शेष रह गई है।

4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि नाथू सिंह, पुत्र झझन सिंह ठाकुर, निवासी पलिया गुजर, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ ने दिनांक 25.01.1987 को लिखित प्रार्थना पत्र (तहरीर, प्रदर्श क-1) प्रस्तुत करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें यह कथन किया गया कि दिनांक 24/25.01.1987 की मध्यरात्रि में वह अपने परिवारजनों सहित अपने घर में सो रहा था, जबकि उसके पिता छत पर सो रहे थे। बरामदे में यथावत् एक लालटेन जल रही थी। लगभग अर्धरात्रि के समय 10-12 बदमाश, जो *बन्दूकों, तमंचों, लाठियों एवं डण्डों* से सुसज्जित थे, छत के रास्ते घर में घुस आए, उसके पिता को काबू में कर लिया तथा उनके साथ मारपीट की। तत्पश्चात् उन्होंने घरेलू सामान, आभूषण, बर्तन तथा सूची में उल्लिखित अन्य वस्तुएँ लूट लीं। जागने पर सूचनाकर्ता तथा उसके परिवारजनों ने शोर मचाया तथा सूचनाकर्ता का भाई भीकम सिंह सहायता हेतु चिल्लाता हुआ घर से बाहर दौड़ा, जिस पर धनपाल सिंह, प्रेम पाल सिंह तथा अन्य ग्रामवासी टॉर्च जलाते हुए दौड़कर आए। ग्रामवासियों द्वारा डाले गए दबाव तथा ललकार के कारण बदमाश लूटी हुई वस्तुएँ लेकर भाग गए। भय के कारण उनका पीछा नहीं किया जा सका। यह भी कथन किया गया कि सूचनाकर्ता, उसके परिवारजनों तथा सहग्रामवासियों ने लालटेन के प्रकाश तथा ग्रामवासियों द्वारा जलाई गई टॉर्चों के प्रकाश में बदमाशों को पहचान लिया था तथा वे लूटी गई वस्तुओं की भी शिनाख्त कर सकते थे। घटना के दौरान सूचनाकर्ता, उसके पिता तथा परिवार की महिला सदस्यों को चोटें आईं। सूचनाकर्ता ने अपनी *तहरीर* (प्रदर्श क-1) में लूटी गई वस्तुओं का विवरण दिया तथा बदमाशों/*डकैतों* द्वारा लूटी गई वस्तुओं की एक पृथक् सूची (प्रदर्श क-2) भी प्रस्तुत किया।

5. उपर्युक्त सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 17 वर्ष 1987, अन्तर्गत धारा 395 एवं 397 भारतीय दण्ड संहिता, दिनांक 25.01.1987 को प्रातः 8:35 बजे पंजीकृत किया गया। विवेचना निरीक्षक भीम सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी ने साक्षियों के बयान अंकित किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा उसका नक्शा नजरी (प्रदर्श क-3) तैयार किया। दिनांक 06.02.1987 को विवेचनाधिकारी द्वारा अपीलार्थी नन्हें तथा सह-अभियुक्त शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा *बापर्दा* रखा गया। दिनांक 07.02.1987 को सह-अभियुक्त ओम पाल

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

तथा बाबू को थाने लाया गया। दिनांक 08.04.1987 को विवेचनाधिकारी ने सह-अभियुक्त नन्दन सिंह को गिरफ्तार किया तथा उसे बापर्दा रखा। सन्देहास्पद अभियुक्तगण की शिनाख्त परेड जिला कारागार, बदायूँ में सम्पन्न कराई गई। साक्ष्य संकलित करने के पश्चात् विवेचनाधिकारी ने दिनांक 28.02.1987 को जीवित अपीलार्थी नन्हें तथा सह-अभियुक्त शिव कुमार, बाबू एवं प्रेम पाल के विरुद्ध तथा दिनांक 04.06.1987 को नन्दन सिंह के विरुद्ध सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया। मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया तथा अभियुक्तगण को समन किया। उनकी उपस्थिति पर उन्हें सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गईं तथा तत्पश्चात् वाद विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

6. सत्र न्यायालय के समक्ष दोनों सत्र विचारण समेकित कर दिए गए तथा सत्र विचारण संख्या 14 वर्ष 1987 को मुख्य वाद के रूप में माना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 395 एवं 397 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया, जिस पर उन्होंने स्वयं को दोषी न बताते हुए विचारण की माँग किया।

7. अभियोजन ने छह साक्षियों का परीक्षण कराया है, अर्थात् पी.डब्ल्यू. -1 नाथू सिंह (प्रथम सूचनाकर्ता), पी.डब्ल्यू. -2 भीकम सिंह, पी.डब्ल्यू. -3 प्रेम पाल, पी.डब्ल्यू. -4 निरीक्षक भीम सिंह (विवेचनाधिकारी), पी.डब्ल्यू. -5 मुख्य आरक्षी राम विलास तथा पी.डब्ल्यू. -6 आरक्षी नन्द लाल यादव।

8. इन साक्षियों में से पी.डब्ल्यू. -1 नाथू सिंह प्रथम सूचनाकर्ता तथा कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। उसी के घर में *डकैती* कारित की गई थी। उसने कथन किया है कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में सो रहा था जब 10-12 बदमाश उसके घर में घुस आए तथा उन्होंने छत पर उसके पिता को पकड़ लिया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर घर के समस्त निवासी जाग गए तथा उन्होंने शोर मचाया। बदमाशों ने सूची में उल्लिखित वस्तुएँ लूट लीं। *डकैती* कारित करते समय वे टॉर्चें जला रहे थे तथा एक लालटेन भी जल रही थी। उसी प्रकाश में उन्होंने बदमाशों/*डकैतों* को पहचान लिया। उसने यह भी कथन किया है कि डकैती के दौरान स्वयं उसके, उसके पिता तथा घर की महिलाओं के साथ मारपीट की गई तथा तत्पश्चात् उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तदुपरान्त उसने सम्बन्धित थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आगे कथन किया कि उसे सन्देहास्पद अभियुक्तगण की शिनाख्त हेतु

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

जिला कारागार ले जाया गया, जहाँ उसने नन्हें तथा अन्य अभियुक्तगण, अर्थात् शिव कुमार, बाबू तथा प्रेम पाल की शिनाख्त की। उसने कथन किया कि उन्होंने उसके घर में डकैती कारित की थी तथा घटना से पूर्व वे उससे परिचित नहीं थे। उसने यह भी कथन किया कि उसने जिला कारागार में उनकी शिनाख्त करने से पूर्व न तो घटना के पश्चात् और न ही कहीं अन्यत्र उन्हें देखा था।

9. पी.डब्ल्यू.-2 भीकम भी घर का निवासी है। वह सूचनाकर्ता का भाई है तथा उसने वही कथन किया है जो प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा वर्णित किया गया है। उसने आगे कथन किया है कि उसे जिला कारागार ले जाया गया, जहाँ उसने अभियुक्तगण की शिनाख्त किया।

10. पी.डब्ल्यू. -3 प्रेम पाल प्रथम सूचनाकर्ता का सहग्रामवासी है। वह पक्षद्रोही हो गया तथा उसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। उसने कथन किया कि प्रथम सूचनाकर्ता के घर पर *डकैती* हुई थी, किन्तु उसने डकैतों के चेहरे नहीं देखे थे। उसने आगे कथन किया कि जब *डकैत* घटनास्थल से भाग रहे थे, तब कोई प्रकाश नहीं था। उसने कथन किया कि अभियुक्त नन्हें उसके सहग्रामवासी राम दयाल का रिश्तेदार था तथा उसने केवल इसी कारण उसकी शिनाख्त की। तथापि, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उसने अभियुक्त को *डकैती* कारित करते हुए नहीं देखा था। पी.डब्ल्यू. -3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के समर्थन में कोई तात्त्विक बात नहीं निकली।

11. पी.डब्ल्यू. -4 निरीक्षक भीम सिंह प्रकरण के विवेचनाधिकारी हैं। उन्होंने अपने द्वारा की गई विवेचना के सम्बन्ध में कथन किया है तथा यह कथन किया है कि उन्होंने अपीलार्थी नन्हें को दिनांक 06.02.1987 को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत अपराध हेतु गिरफ्तार किया था। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी को घटनास्थल पर *बापर्दा* (चेहरा ढँककर) रखा गया था, क्योंकि उसने *डकैती* कारित करना स्वीकार किया था। उन्होंने इस सुझाव से इन्कार किया कि अभियुक्त को रात्रि में थाने पर साक्षियों को दिखाया गया था।

12. पी.डब्ल्यू. -5 मुख्य आरक्षी राम विलास एक औपचारिक साक्षी है। उसने कथन किया है कि दिनांक 07.02.1987 को अपीलार्थी नन्हें तथा दो अन्य अभियुक्तगण को *बापर्दा* दशा में थाने की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(*हवालात*) में लाया गया तथा तत्पश्चात् जिला कारागार, बदायूँ ले जाया गया। उसने आगे कथन किया कि जब तक अभियुक्तगण हवालात में रहे, उन्हें किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया गया।

13. पी.डब्ल्यू. -6 आरक्षी नन्द लाल यादव भी एक औपचारिक साक्षी है। उसने कथन किया है कि दिनांक 07.02.1987 को वह अपीलार्थीगण तथा अन्य सह-अभियुक्तगण को *बापर्दा* दशा में जिला कारागार, बदायूँ लाया था। उसने आगे कथन किया कि जब तक अभियुक्तगण उसकी अभिरक्षा में रहे, उन्हें किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया गया।

14. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन कथानक से इन्कार किया। अपीलार्थी नन्हें ने विशेष रूप से यह कथन किया कि उसकी दो बहनों का विवाह प्रथम सूचनाकर्ता के सहग्रामवासी अंगनू तथा राम दयाल के साथ हुआ था, जिस गाँव में घटना घटित हुई थी। अंगनू की मृत्यु हो चुकी थी तथा राम दयाल अपाहिज है। उसने आगे कथन किया कि वह उसी गाँव में निवास करता रहा है तथा उनकी कृषि भूमि की देखभाल करता रहा है, अतः साक्षी उसे घटना से पूर्व भी जानते थे।

15. बचाव में अभियुक्तगण ने डी.डब्ल्यू. -1 सहोदरा, डी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती राम कुँवर, डी.डब्ल्यू. -3 राज पाल, डी.डब्ल्यू. -4 घनेन्द्र पाल तथा डी.डब्ल्यू.-5 अमर सिंह का परीक्षण कराया। इन बचाव साक्षियों में से डी.डब्ल्यू.-1 तथा डी.डब्ल्यू.-2 ने कथन किया कि अपीलार्थी नन्हें उनका चचेरा भाई है। उन्होंने आगे कथन किया कि सहोदरा का पति राम दयाल अपाहिज है तथा चलने-फिरने में असमर्थ है और अपीलार्थी नन्हें ही है, जो जब भी वे उसे बुलाती हैं, उनके गाँव आता है तथा उनके कृषि कार्य में सहायता करता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि ग्रामवासी नन्हें को विगत 20-25 वर्षों से जानते हैं।

16. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कारागार में सम्पन्न शिनाख्त परेड में तथा न्यायालय में साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण, अर्थात् शिव कुमार, नन्हें, बाबू तथा ओम पाल की शिनाख्त ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। तदनुसार, उपर्युक्त समस्त चारों अभियुक्तगण को धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया। तथापि, उन्हें धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आरोप से इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि यह प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य का अभाव था कि अपराध कारित करते समय वे कोई आयुध अथवा घातक हथियार लिए हुए थे। सह-अभियुक्त नन्दन सिंह को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। फलस्वरूप, अपीलार्थीगण को धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उपर्युक्त रूप से इंगित अवधि का दण्डादेश दिया गया।

17. जीवित अपीलार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा को सुना गया।

18. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक अत्यधिक सन्देहास्पद है। बदमाशों की शिनाख्त हेतु पर्याप्त प्रकाश नहीं था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कारागार में तथा न्यायालय में अपीलार्थीगण की शिनाख्त विधि के अनुसार नहीं थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी नन्हें को थाने पर साक्षियों को दिखाया गया था तथा साक्षी उसे घटना से पूर्व भी जानते थे, क्योंकि वह प्रायः अपनी उन चचेरी बहनों के कृषि कार्य में सहायता करने हेतु गाँव आता था, जिनका विवाह वहाँ हुआ था। अतः शिनाख्त परेड निरर्थक है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण के कब्जे से कोई लूटी हुई सम्पत्ति बरामद नहीं की गई। प्रकाश के स्रोत, टॉर्चें एवं लालटेन, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः विद्वान विचारण न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा तथा अपीलार्थी के दोष के सम्बन्ध में गलत निष्कर्ष पर पहुँचा।

19. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। प्रकाश का समुचित स्रोत विद्यमान था, जिसमें अपीलार्थीगण की शिनाख्त की गई। कारागार में सम्पन्न शिनाख्त परेड में तथा न्यायालय के समक्ष तथ्य के साक्षियों के परीक्षण के दौरान भी अपीलार्थीगण की शिनाख्त की गई। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बचाव पक्ष ने ऐसी कोई शत्रुता प्रमाणित नहीं की है जिससे यह दर्शित हो कि प्रथम सूचनाकर्ता के पास इस प्रकरण में अपीलार्थीगण को झूठा फँसाने का कोई कारण था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के तुरन्त पश्चात् अपीलार्थीगण को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी शिनाख्त जिला कारागार में 18 दिनों के भीतर सम्पन्न हुई।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक प्रमाणित है तथा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं है एवं वह खारिज किए जाने योग्य है।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा पत्रावली के परिशीलन पर, अभियोजन कथानक यह है कि *डकैती* प्रथम सूचनाकर्ता के घर पर दिनांक 24/25.01.1987 की मध्यरात्रि में कारित की गई थी। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू. -1 नत्थू सिंह, प्रथम सूचनाकर्ता तथा पी.डब्ल्यू. -2 भीखम सिंह, उसका भाई, जो घटना के समय घर के निवासी थे, ने यह कथन करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है कि 10-12 बदमाश प्रथम सूचनाकर्ता के घर में घुस आए तथा डकैती कारित की। इस सम्बन्ध में उनके साक्ष्य संगत एवं विश्वसनीय हैं, जो यह स्थापित करते हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता के घर पर डकैती कारित की गई तथा वहाँ से विभिन्न वस्तुएँ एवं सामान लूटे गए।

21. अब जो प्रश्न विचारार्थ उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थीगण उन बदमाशों में सम्मिलित थे जो *डकैतों* के उस गिरोह का गठन करते थे जिसने *डकैती* कारित की। इस सम्बन्ध में अभियोजन का कथन यह है कि अपीलार्थीगण घटना से पूर्व साक्षियों से परिचित नहीं थे तथा विवेचना के दौरान सम्पन्न शिनाख्त परेड (टी.आई.पी.) में तथा बयान अंकित किए जाते समय भी प्रथम सूचनाकर्ता पी.डब्ल्यू. -1 नत्थू सिंह एवं उसके भाई पी.डब्ल्यू. -2 भीखम सिंह ने अपीलार्थी नन्हें की सही शिनाख्त की। अतः यह स्थापित है कि नन्हें *डकैतों* के उस गिरोह का एक सदस्य था जिसने प्रथम सूचनाकर्ता के घर में डकैती कारित की। दूसरी ओर, बचाव पक्ष का कथन यह है कि अपीलार्थी नन्हें घटना से पूर्व ही साक्षियों से परिचित था, क्योंकि उसकी दो चचेरी बहनों का विवाह उसी गाँव में हुआ था जहाँ घटना घटित हुई तथा वह कृषि कार्यों में उनकी सहायता हेतु गाँव आता-जाता रहता था।

22. अतः सर्वप्रथम, आइए हम यह देखें कि अपीलार्थी नन्हें घटना से पूर्व साक्षियों से परिचित था अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में आइए पहले हम बचाव साक्ष्य का परीक्षण करें। बचाव पक्ष ने डी.डब्ल्यू. -1 सहोदरा का परीक्षण कराया है, जिसने कथन किया है कि उसका विवाह राम दयाल नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जो चलने-फिरने में असमर्थ है तथा अपीलार्थी नन्हें उसका चचेरा भाई है। उसने आगे कथन किया कि जब भी वे उसे बुलाती हैं, वह उनके कृषि कार्य में सहायता करने हेतु गाँव आता है। डी.डब्ल्यू. -1 ने आगे कथन किया है कि समस्त ग्रामवासी अपीलार्थी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

नन्हें को विगत 20-25 वर्षों से भली-भाँति जानते हैं। डी.डब्ल्यू. -2 राम कुँवर ने भी कथन किया है कि अपीलार्थी नन्हें उसका चचेरा भाई है, जो विगत 20-25 वर्षों से, जब भी उसके द्वारा बुलाया जाता है, गाँव आता रहा है। उसने कथन किया है कि उसके पति अंगन लाल की मृत्यु हो चुकी है तथा नन्हें ही है जो उसकी एवं उसकी बहन की कृषि कार्य में सहायता करता है। उनकी प्रतिपरीक्षा में कोई प्रतिकूल बात नहीं निकली है।

23. अतः यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी नन्हें की चचेरी बहनों का विवाह उसी गाँव में हुआ है जहाँ घटना घटित हुई। अतः उनका चचेरा भाई होने के नाते उसका गाँव आना-जाना स्वाभाविक है। फलस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता कि वह उसी गाँव के साक्षियों के लिए अपरिचित था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी नन्हें घटना से पूर्व पी.डब्ल्यू. -1 तथा पी.डब्ल्यू. -2 से परिचित था। अतः न्यायालय के समक्ष तथा जिला कारागार में उसकी शिनाख्त का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है।

24. अब, यदि हम अभियोजन कथानक पर आएँ, तो अपीलार्थी नन्हें साक्षियों से परिचित नहीं था। यद्यपि यह तथ्य प्रमाणित नहीं है तथा इसे सत्य मान भी लिया जाए, तो भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह प्रमाणित नहीं करता कि अपीलार्थी *डकैतों* के उस गिरोह का एक सदस्य था जिसने *डकैती* कारित की। अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 24/25.01.1987 की मध्यरात्रि में घटित हुई। अपीलार्थी नन्हें को विवेचनाधिकारी द्वारा दिनांक 06.02.1987 को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा *बापर्दा* रखा गया। उसकी शिनाख्त परेड जिला कारागार में दिनांक 24.02.1987 को सम्पन्न कराई गई। तथापि, अभियोजन ने यह प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अपीलार्थी नन्हें को उसकी गिरफ्तारी की तिथि से जिला कारागार में निरुद्ध किए जाने तक *बापर्दा* रखा गया था। पी.डब्ल्यू. -5 राम विलास तथा पी.डब्ल्यू. -6 नन्द लाल यादव का कड़ी-साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पी.डब्ल्यू. -5 ने वह अवधि नहीं बताई है जिसके दौरान वह थाने पर ड्यूटी पर था तथा पी.डब्ल्यू. -6 ने वह अवधि नहीं बताई है जिसके दौरान अपीलार्थी उसकी अभिरक्षा में रहा। यह एक अत्यन्त तात्त्विक कारक है जो उसकी शिनाख्त के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है तथा इस सम्भावना को अपवर्जित नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थीगण को थाने पर साक्षियों को दिखाया गया था, जैसा कि उनके द्वारा अभिकथित है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

25. कथित घटना रात्रि में घटित हुई थी तथा अभियोजन के अनुसार प्रकाश का स्रोत एक लालटेन एवं टॉर्चें थीं, जिनका निरीक्षण विवेचनाधिकारी द्वारा किया गया तथा जो उनके सम्बन्धित स्वामियों को *सुपुर्दगी* में दे दी गईं। तथापि, प्रकाश के ये स्रोत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। साक्ष्य में यह भी आया है कि कुछ *डकैत* छत पर थे, जो प्रथम सूचनाकर्ता के पिता को पकड़े हुए थे, जबकि कुछ ने प्रथम सूचनाकर्ता को काबू में करके उसे एक स्थान पर बाँध दिया था तथा अन्य *डकैत लूट* कारित करते हुए घर के चारों ओर घूम रहे थे। अभियोजन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी नन्हें क्या भूमिका निभा रहा था। यदि डकैती के समय डकैत एक साथ भिन्न-भिन्न कृत्य कर रहे थे, तो यह अभियोजन का कर्तव्य था कि वह यह प्रमाणित करे कि *डकैती* कारित किए जाने के दौरान अपीलार्थी नन्हें द्वारा कौन-सा विशिष्ट कृत्य किया गया।

26. शिनाख्त परेड के ज्ञापन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उसमें अपीलार्थी नन्हें द्वारा निभाई गई भूमिका अथवा किए गए कृत्य का उल्लेख नहीं है। जिन साक्षियों ने जिला कारागार में उसकी शिनाख्त की, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने घटना के समय क्या कृत्य किया था। इसी प्रकार, न्यायालय के समक्ष उसकी शिनाख्त के दौरान भी साक्षियों ने घटना के दौरान उसके द्वारा निभाई गई कोई विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं की।

27. शिनाख्त परेड (टी.आई.पी.) के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***तुकेश सिंह एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 683*** में प्रस्तर 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"21. ऐसे प्रकरण में जहाँ चक्षुदर्शी साक्षी हों, एक स्थिति यह हो सकती है कि चक्षुदर्शी साक्षी घटना से पूर्व अभियुक्त को जानता हो। चक्षुदर्शी साक्षियों को कठघरे में बैठे अभियुक्त की उसी अभियुक्त के रूप में शिनाख्त करनी होगी जिसे उन्होंने अपराध कारित करते हुए देखा था। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि चक्षुदर्शी साक्षी घटना से पूर्व अभियुक्त को नहीं जानता था। सामान्य क्रम में, दूसरी स्थिति के प्रकरण में शिनाख्त परेड कराया जाना आवश्यक है। यदि वह नहीं कराई जाती तथा यदि चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य कुछ वर्षों के पश्चात् अंकित किया जाता है, तो न्यायालय में चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा ऐसे अभियुक्त की शिनाख्त दुर्बल हो जाती है। चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा न्यायालय में बैठे अभियुक्त की शिनाख्त*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*अत्यन्त महत्वपूर्ण है। **उदाहरणार्थ, यदि कोई चक्षुदर्शी साक्षी अपने साक्ष्य में यह कथन करता है कि "उसने क, ख तथा ग को य की हत्या करते हुए देखा था तथा वह क, ख एवं ग को जानता था"**। मुख्य परीक्षा में ऐसा कथन उसे अभियुक्तगण से जोड़ने हेतु पर्याप्त नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षी को न्यायालय में अभियुक्त क, ख तथा ग की शिनाख्त करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सकता कि अभियुक्तगण वही व्यक्ति हैं जिन्हें चक्षुदर्शी साक्षी ने अपने साक्ष्य में नामित किया है। यदि कोई चक्षुदर्शी साक्षी यह कथन करता है कि "उसने एक अभियुक्त को मृतक पर तलवार से प्रहार करते हुए, दूसरे अभियुक्त को मृतक पर डण्डे से प्रहार करते हुए तथा एक अन्य अभियुक्त को मृतक को पकड़े हुए देखा ताकि अन्य अभियुक्त मृतक पर प्रहार कर सकें।" ऐसे प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी को खुले न्यायालय में उन अभियुक्तों की शिनाख्त करनी होगी जिन्होंने, उसके अनुसार, मृतक पर डण्डे से प्रहार किया, जिसने मृतक पर तलवार से प्रहार किया तथा जो मृतक को पकड़े हुए था। जब तक चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण की शिनाख्त नहीं करते, यह नहीं कहा जा सकता कि चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का दोष प्रमाणित हो गया है।"*

28. ***जयन बनाम केरल राज्य, एल.एल. 2021 एस.सी. 582*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

"18. यह सुस्थापित है कि शिनाख्त परेड विवेचना का एक भाग है तथा यह सारभूत साक्ष्य नहीं है। शिनाख्त परेड कराए जाने का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब अभियुक्त साक्षी से पूर्व परिचित न हो। ऐसे साक्षी द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की शिनाख्त, जिसने अभियुक्त को पहली बार अपराध की घटना में देखा हो, साक्ष्य का एक दुर्बल अंश है, विशेषकर जब घटना की तिथि तथा उसका साक्ष्य अंकित किए जाने की तिथि के मध्य लम्बा समयान्तराल हो। ऐसे प्रकरण में शिनाख्त परेड न्यायालय के समक्ष साक्षी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त को विश्वसनीय बना सकती है।"

29. ***कट्टावेल्लई बनाम तमिलनाडु राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1439*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

"विधि का कोई प्रावधान विवेचक प्राधिकारियों पर शिनाख्त परेड कराने का दायित्व अधिरोपित नहीं करता। यदि वह कराई जाती है, तो उसे शासित करने वाला प्रावधान धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता है। यह दर्शित करने का भार कि शिनाख्त परेड विधि के अनुसार सम्पन्न कराई गई है, अभियोजन पर है तथा यह भार प्रथम दृष्टया उन्मोचित हो जाने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में आपत्तियों पर विचार करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। यह सारभूत साक्ष्य का अंश नहीं है। इसका एकमात्र प्रयोजन विवेचक प्राधिकारियों द्वारा उस दिशा की सत्यता अथवा असत्यता का विश्लेषण करना है जिस दिशा में वे विवेचना को संचालित कर रहे हैं। अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि शिनाख्त परेड सम्पन्न कराए जाने से पूर्व साक्षी को अभियुक्त को देखने का कोई अवसर नहीं था। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त को 'बापर्दा' रखा जाना चाहिए। यदि उपर्युक्त सुनिश्चित नहीं किया गया है, तो शिनाख्त परेड का साक्ष्य अग्राह्य हो जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि शिनाख्त परेड से पूर्व साक्षी को अभियुक्त व्यक्ति का छायाचित्र तक देखने का अवसर मिल जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया निष्प्रभावी हो जाती है।"

30. उपर्युक्त को देखते हुए, अपीलार्थी नन्हें द्वारा किए गए विशिष्ट कृत्य को स्पष्ट करने में विफलता उक्त घटना में उसकी संलिप्तता के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न करती है। शिनाख्त परेड से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं क्योंकि बचाव पक्ष ने उनकी असलियत स्वीकार कर ली है। तथापि, अभियोजन ने उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट का परीक्षण नहीं कराया जिसके समक्ष जिला कारागार में शिनाख्त परेड सम्पन्न कराई गई थी। दस्तावेज की असलियत की मात्र स्वीकृति उसकी अन्तर्वस्तु की सत्यता अथवा शुद्धता की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट का परीक्षण न कराया जाना अभियोजन की ओर से एक गम्भीर चूक है, क्योंकि वही था जिससे न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था कि शिनाख्त परेड निष्पक्ष एवं समुचित रीति से सम्पन्न कराई गई थी। यह लोप भी अभियोजन कथानक पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है।

31. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में समर्थ नहीं रहा है तथा यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी नन्हें डकैतों के उस गिरोह का एक सदस्य था जिसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

में प्रथम सूचनाकर्ता के घर पर *डकैती* कारित किया। अतः वह सन्देह का लाभ दिए जाने योग्य है। अतः धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप अपीलार्थी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुआ है तथा विचारण न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा। अतः दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

32. अतः प्रस्तुत अपील **स्वीकार** की जाती है तथा विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.04.1989 रद्द करना किया जाता है। अपीलार्थी **नन्हें** को धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

33. अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बन्धपत्र तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

34. इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित सम्बन्धित विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

6 अगस्त, 2026

अमित/-

Translated Versionn. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"